न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश मेहरा आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 39/2019 – निगरानी

1. राधेश्यामदास पिता शुभकरणदास उर्फ सुवादास उर्फ सब्जीदास वैष्णव निवासी पुरानी परासौली तहसील–आसींद
2. श्रीमती चांदीबाई पत्नी शुभकरणदास उर्फ सुवादास उर्फ सब्जीदास वैष्णव निवासी पुरानी परासौली तहसील–आसींद
3. श्रीमती जीवणी उर्फ जिया पुत्री शुभकरणदास उर्फ सुवादास उर्फ सब्जीदास वैष्णव निवासी पुरानी परासौली, तहसील–आसींद जिला भीलवाड़ा

–निगराकार

बनाम

1. रामरतनदास पिता शुभकरणदास उर्फ सुवादास उर्फ सब्जीदास वैष्णव निवासी पुरानी परासोली, तहसील आसींद
2. कन्हैयालाल पिता पन्नालाल कुमावत निवासी पुरानी परासौली
3. ग्राम पंचायत परासौली, पंचायत समिति आसींद जरिए सरपंच/सचिव
4. रामनारायण पुत्र रामरतन वैष्णव निवासी परासोली आसींद
5. जगदीश पुत्र छोगालाल कुमावत निवासी पुरानी परासोली आसींद

– गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्व ग्राम पंचायत परासोली पत्रावली सं 308/2016–17 दिनांक 06.09.2018

उपस्थित –

1. श्री भैरूलाल बापना अधिवक्ता – निगराकारगण की ओर से
2. श्री संजय सेन अधिवक्ता – गैर निगराकार संख्या 01 व 02 ओर से
3. श्री दूदाराम कुमावत अधिवक्ता – गैर निगराकार संख्या 05 की ओर से

निर्णय

दिनांक 06.03.2025

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत परासोली पंचायत समिति आसींद ने निगराकारान व गैर निगराकारान संख्या 1 के संयुक्त स्वामित्व पुश्तैनी मकान का पट्टा गैर निगराकार संख्या 1 के नाम जारी कर दिया गया। सजरा अनुसार शुभकरणदास के परिवार में उनकी पत्नी चांदीबाई, पुत्र राधेश्यामदास,पुत्र रामरतनदास एवं पुत्री जीवणी उर्फ जिया है। पुरानी परासोली वार्ड 2 में शुभकरणदास का एक पुश्तैनी कच्चा मकान है। शुभकरणदास के

रजिस्टर में निगराकार 1 के हस्ताक्षर हैं। इसी कारण से इस तथाकथित सहमति पत्र पर निगराकार संख्या 1 का फोटो नहीं लग रहा है। इस फर्जी प्रपत्र पर वार्ड सदस्य पूरणकंवर व सरपंच ने भी गलत प्रमाणीकरण कर दिया कि प्रार्थी का कोई भाई नहीं है। वादग्रस्त जायदाद के समीप निगराकार संख्या 1 के काका सीतारामदास की जायदाद है, जिनकी सेवा निगराकार संख्या 1 द्वारा करने के कारण सीतारामदास ने अपनी समस्त चल–अचल सम्पत्ति की रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 12–1–1996 को निगराकार संख्या 1 के पक्ष में कर दी थी। दिनांक 06.06.2016 को ग्राम सचिव द्वारा बनाए गए पुश्तैनी मकान के नक्शे में गलत माप अंकन व क्षेत्रफल में भारी कांट फांस की गई है। निगराकार के पिता का नाम सब्जीदास को काटकर सीतारामदास लिखा गया है। दिनांक 06.06.2016 को बनाए गए इस नक्शे के आधार पर बनाए गए पटटे के क्षेत्रफल में दिनांक 06.06.2019 को संशोधन किया गया, जबकि दिनांक 06.09.2018 को पट्टा जारी हो जाने के बाद पंचायत को उसमें संशोधन करने के कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। दिनांक 20.07.2016 को वार्ड पंच समिति ने कोई भौतिक मौका निरीक्षण स्वयं अथवा निगराकारान के साथ नहीं किया गया। मौका निरीक्षण प्रपत्र में निगराकार 1 के पिता का नाम सब्जीदास को काटकर सीतारामदास लिखा गया एवं उक्त सम्पत्ति बिना किसी विवाद का होना बताया गया जबकि उक्त जायदाद निगराकारान व गैर निगराकारान 1 के मध्य बोलचाल नहीं होने से करीब 10 वर्षों से विवादग्रस्त है। गैर निगराकार संख्या 1 ने उक्त जायदाद में निवासरत बताया है जबकि उक्त जायदाद में कोई कमरे नहीं है एवं मात्र 2 दुकाने है जो रहवास योग्य नहीं है एवं जिनका निर्माण निगराकार–1 के करवाया गया है। दुकानों के अलावा शेष जायदाद खाली पडी है जिनपर अंग्रेजी बबूल व झाडियां उगे हुए हैं। मौका निरीक्षण प्रपत्र एवं पत्रावली में अन्य सभी कागजात में निगराकार संख्या 1 राधेश्यामदास को हिस्सेदार के स्थान पर पडौसी बताया गया जो गलत है। दिनांक 20.07.2016 को वार्ड पंचो द्वारा तथाकथित स्थल निरीक्षण के संबंध में नियम 148 आदेशिका में एक माह की अवधि में आपत्तियां आमंत्रित किया जाने का अंकन है, किंतु आदेशिका में वार्ड पंचो अथवा कोरम के सदस्यों के कहीं भी हस्ताक्षर नहीं है। विवादित पट्टा अनुमोदन रहित होने से अवैधानिक होकर निरस्तनीय है। दिनांक 20.07.2016 के बजाय आक्षेप सूचना पत्र 26.08.2016 को जारी किया गया, लेकिन उक्त सूचना पत्र जो कम से कम दो प्रतिष्ठित

पट्टा जारी किया जाए। जिसके अनुक्रम में पंचायत में पत्रावली 308/2016–17 कायम की गई। प्रार्थना पत्र में गैर निगराकार संख्या 1 द्वारा भाई–बहिनों की कुल संख्या अंकित नहीं की गई एवं पिता का नाम काट–छांट कर शुभकरणदास के बजाय सीताराम वैष्णव लिखा है। गैर निगराकार संख्या 1 ने भाई बंटवारा संबंधित कोई भी दस्तावेज प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किया है। शपथपत्र में एक भाई–बहिन का कथन है, जबकि शुभकरणदास के विरासत सजरा अनुसार 2 पुत्र, एक पुत्री व पत्नी संयुक्त रूप से वारिस है। लेकिन इन वारिसान का कोई भी उल्लेख गैर निगराकार संख्या–1 द्वारा अपने प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में नहीं किया गया है। गैर निगराकार संख्या–1 द्वारा भाई–बहिनों व पडौसियों का बताया गया शपथ–पत्र भी मूल प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नहीं किया गया है। तथाकथित 50/– स्टाम्प पर शपथ पत्र मिथ्या है, जो स्टाम्प पर भी नहीं है एवं न ही नोटरी प्रमाणित है। गैर निगराकार संख्या 1 ने जो भाई बहिन की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत की गई है उसमें निगराकार के पिता का नाम सीताराम वैष्णव गलत अंकित कर निगराकार 1 के फर्जी हस्ताक्षर कर रखे हैं। पूर्व में भी काट–छांट कर निगराकार के पिता का नाम सब्जीदास लिखकर व काटकर सीतारामदास लिखा हो सर्वथा गलत है। इस प्रकार किसी भी प्रकार की सहमति निगराकार संख्या 1 द्वारा गैर निगराकार संख्या 2 को नहीं दी गई थी। फोटो–रहित व नोटरी रहित तथाकथित सहमति पत्र व अनापत्ति प्रमाण पत्र अवैध हैं। प्रपत्र पर 08.08.2016 को नोटरी पब्लिक लिखा जाना प्रतीत होता है, किन्तु निगराकार 1 इस दिनांक को नोटरी पब्लिक के पास नहीं गया एवं न ही नोटरी रजिस्टर में निगराकार 1 के हस्ताक्षर हैं। इसी कारण से इस तथाकथित सहमति पत्र पर निगराकार संख्या 1 का फोटो नहीं लग रहा है। इस फर्जी प्रपत्र पर वार्ड सदस्य पूरणकंवर व सरपंच ने भी गलत प्रमाणीकरण कर दिया कि प्रार्थी का कोई भाई नहीं है। वादग्रस्त जायदाद के समीप निगराकार संख्या 1 के काका सीतारामदास की जायदाद है, जिनकी सेवा निगराकार संख्या 1 द्वारा करने के कारण सीतारामदास ने अपनी समस्त चल–अचल सम्पत्ति की रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 12–1–1996 को निगराकार संख्या 1 के पक्ष में कर दी थी। दिनांक 06.06.2016 को ग्राम सचिव द्वारा बनाए गए पुश्तैनी मकान के नक्शे में गलत माप अंकन व क्षेत्रफल में भारी कांट फांस की गई है। निगराकार के पिता का नाम सब्जीदास को काटकर सीतारामदास लिखा गया है। दिनांक 06.06.2016

2019 को पंजीकृत कराए गए विक्रय पत्र से अवैधानिक रूप से विक्रय कर दिया। दिनांक 26.08.2016 को एक वर्ष से अधिक अवधि पश्चात् गैर निगराकार संख्या 1 को पट्टा जारी करने का ग्राम पंचायत ने जो निर्णय लिया गया है उसमें कई जगह पर कटिंग है एवं कटिंग भी किसी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं होने से प्रमाणित नहीं है। उक्त निर्णय के क्रम में जो तथाकथित पटटा गैर निगराकार सं 1 को जारी किया गया है उसका पंजीयन आज दिनांक नहीं होने से पटटा जारी होने की जानकारी निगराकारान को नहीं हो सकी। दिनांक 07.09.2019 को निगराकारान को जानकारी होने पर पंचायत की पत्रावली की नकलें दिए जाने हेतु आवेदन किया गया, जिस पर नकलें जारी होने से उक्त निगरानी जानकारी मिलने से 3 माह के अंदर अवधि में पेश है। अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर गेर निगराकार संख्या 01 के पक्ष में जारी पटटा पत्रावली संख्या 308/2016–17 दिनांक 06.09.2018 को निरस्त किया जावे। निगराकार अधिवक्ता ने विधिक दृष्टान्त 1998 आर बी जे 487, 2004 आर बी जे 388, 1996 डीएनजे (एससी) 456, 1986 आरआरडी 673 पेश किये।

गैर निगराकार संख्या 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त जायदाद संयुक्त स्वामित्व की न होकर अकेले गैर निगराकार संख्या 01 की थी, इस कारण ग्राम पंचायत द्वारा पटटा अकेले गैर निगराकार संख्या 01 की पुश्तैनी होने से इनके नाम पर सही तौर से पटटा जारी किया गया। निगराकार द्वारा प्रस्तुत सजरा गलत है। सही सजरे अनुसार, सब्जीदास वैष्णव के 3 पुत्र गोपालदास, राधेश्यामदास, रामरतनदास उर्फ रोकडदास, 1 पुत्री जीवणी व पत्नी चांदी बाई है। जिसमें गोपालदास उदयरामदास वैष्णव निवासी चोटियास तहसील आसींद के गोद चला गया एवं राधेश्यामदास सीतारामदास वैष्णव के गोद चला गया। उक्त कथन की पुष्टी सीतारामदास वैष्णव की पत्नी की मृत्यु की तैरवीं के दिन सामाजिक मौसर कार्यक्रम दिनांक 28.11.1995 को सभी पंच पटेल व मौतबिरान के समक्ष सीतारामदास की दोनों पुत्रियों की सहमति से राधेश्यामदास को लेहरिया बंधाकर दस्तुर कराया जाकर सीतारामदास की सेवा चाकरी आदि करने के लिए गोदपुत्र बनाकर सम्पूर्ण सम्पत्ति का उत्तराधिकारी बनाया गया तथा सीतारामदास की पत्नि का गंगोज भी राधेश्यामदास ने ही किया। परन्तु ग्राम पालडी वाले बंशीदास व पावणा दोनो बाप बेटे ने साजिश रचकर उक्त गोदनामा पर आक्षेप लगाया। जिसको वैष्णव समाज बदनौरा

सब्जीदास की मृत्यु दिनांक 20.02.1998 को हो जाने से सजरा प्रमाणित किया, जिसमें भी राधेश्यामदास को सीताराम को गोद जाना बताया। राधेश्यामदास के सभी सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड व अन्य दस्तावेज में पिता का नाम सीताराम वैष्णव अंकित है। निगराकारान द्वारा झूठा निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो सव्यय खारिज होने योग्य है। निवेदन है कि निगराकार की निगरानी खारिज की जावे।

गैर निगराकार संख्या 05 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त जायदाद संयुक्त स्वामित्व की नही होकर अकेले गैर निगराकार संख्या 01 की थी, जिस कारण ग्राम पंचायत द्वारा अकेले गैर निगराकार संख्या 01 की पुश्तैनी होने से इनके नाम पर सही तौर से पटटा जारी किया गया हैं। गैर निगराकार संख्या 4 ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 05.08.2020 को गैर निगराकार संख्या 5 को विक्रय कर कब्जा सम्भला दिया था, तभी से वादग्रस्त जायदाद पर गैर निगराकार संख्या 5 द्वारा काबिज होकर विधिक रूप से सही होकर उपयोग कर रहा है। निगराकार द्वारा झूठा प्रार्थना पत्र दर्ज कराया है, जो सव्यय खारिज होने योग्य है। निवेदन हैं कि निगराकार की निगरानी खारिज की जावे।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया गया कि गैर निगराकार संख्या 01 के आवासीय पटटा दिलाये जाने बाबत् आवेदन किये जाने पर ग्राम पंचायत द्वारा मिसल संख्या 308 /2016–17 दायर दिनांक 09.05.2016 को कायम की जाकर प्रस्ताव कौरम में रखा गया। मौका स्थल निरीक्षण बाबत् तीन वार्ड पंचो की कमेटी बनायी जाकर को मौका निरीक्षण किया गया। सरपंच के हस्ताक्षर से आपत्ति सूचना पत्र जारी किया गया। मिसल आदेशिका दिनांक 06.09.2016 अनुसार आपत्ति प्राप्त नही हुयी। तदनुसार ग्राम पंचायत द्वारा आवेदक /प्रार्थी को पुश्तैनी मकान का पटटा, पटटा शुल्क, पंचायत कोष में जमा करवा प्रश्नगत पटटा जारी किया गया हैं, जिसमें कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती हैं।

निगराकार अधिवक्ता ने अपनी निगरानी मेमों एवं बहस में व्यक्त किया किया है कि प्रश्नगत पटटा जारी करने में ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के तहत नियम 145 से 160 की पालना नही की जाकर विधि विरूद्व पटटा जारी किया गया हैं। पटटे जारी करने से पूर्व आपत्ति प्रोपर जारी नही की गयी, मौका

निरीक्षण नही किया गया इत्यादि। इस बाबत् पत्रावली पर प्रस्तुत मिसल पत्रावली की सत्यापित प्रतिलिपि का अवलोकन किये जाने पर यह स्पष्ट जाहिर होता हैं कि ग्राम पंचायत ने पंचायतीराज नियमों की पालना करके नियमानुसार आपत्ति पत्र जारी कर एवं तीन वार्ड पंचों से मौका निरीक्षण करवारकर पटटा राशि जमा करवाकर विधि अनुसार पटटा जारी किया जाना इंगित होता हैं। इस प्रकार निगराकार द्वारा उठाये गये तथ्य निराधार एवं कोर कल्पित प्रतीत होते हैं।

निगराकार का कथन की प्रश्नगत पटटा भूमि पर गैर निगराकार संख्या 01 का अकेले का कब्जा नही हैं, प्रश्नगत पटटा भूमि पर निगराकार एवं गैर निगराकार संख्या 01 का शामलाती हक हिस्सा एवं कब्जा हैं। किन्तु निगराकार ने इस बाबत् कोई प्रमाणिक दस्तावेजात पेश नही किये गये।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत ने उक्त प्रश्नगत मिसल संख्या 308/2016–17 फैसल दिनांक 06.09.2018 के जरिये पटटा तत्कालीन नियमों व प्रावधानों के तहत गैर निगराकार संख्या 01 को जारी किया गया, जिसमें कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है। निगराकार की निगरानी सारहीन व आधारहीन एवं तथ्यहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत तथ्यहीन, सारहीन एवं आधारहीन होने से अस्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत परासोली द्वारा मिसल संख्या 308/2016–17 फैसल दिनांक 06.09.2018 के जरिये जारी पटटे को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत परासोली पंचायत समिति आसीन्द को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश मेहरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)